लालाराम बनाम राजस्थान सरकार
मुकदमा नम्बर 0153/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

प्रार्थी :–
लालाराम पुत्र कुनणाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम कांसेड़ा तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) नावां तहसील नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :– राजेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी

मुकदमा नम्बर :– 0153/2023 निर्णय दिनांक :– 09.12.2023

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 104, 105, 107, 108, 109, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122 कुल रकबा 20.71 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 119 रकबा 4.75 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता स्वर्गीय कुनणाराम पुत्र मंगलाराम की खातेदारी चली आ रही है तथा प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 20.09.2019 को हो चुका है। उक्त भूमि में वादी के पिता का नाम कुन्दन राम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर कुनणा राम पुत्र मंगलाराम दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी के पिता के दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, मृत्यु प्रमाण पत्र में कुनणा राम पुत्र मंगलाराम दर्ज है। इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम कुन्दन राम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर कुनणा राम पुत्र मंगलाराम करवाना चाहता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार नावां ने जवाब मय रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार कुन्दनराम पुत्र मंगलाराम, कुनणाराम पुत्र मंगलाराम एक ही व्यक्ति है एवं पहचान दस्तावेजों में कुनणाराम पुत्र मंगलाराम है। राजस्व रिकॉर्ड में कुन्दनराम के स्थान पर कुनणाराम को सही किया जाना उचित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी के पिता का पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचानुसार राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 104, 105, 107, 108, 109, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122 कुल रकबा 20.71 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 119 रकबा 4.75 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के प्रार्थना पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के पिता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

नाम कुन्दन राम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर कुनणा राम पुत्र मंगलाराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 104, 105, 107, 108, 109, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122 कुल रकबा 20.71 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 119 रकबा 4.75 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के प्रार्थना पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम कुन्दन राम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर कुनणा राम पुत्र मंगलाराम दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार नावां को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2023 को सरे इजलास राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:47 IST
Reason: SelfAttested